कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)
नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय उज्जैन के पुराने न्यायालय भवन, कोठी पैलेस, उज्जैन में रखी अनुपयोगी सामग्री की सूची अनुसार सामग्री जिसका आफसेट मूल्य **राशि रूपये 98,295/– (रूपये अन्ठान्नवे हजार दो सौ पिंच्यानवे मात्र)** के विक्रय हेतु **नीलामी दिनांक 13.04.2024 (शनिवार) को प्रातः 11–00 बजे खुली निविदा** के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाना है।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नजारत अनुभाग, उज्जैन में राशि रूपये 200/– जमा कर तथा रसीद प्राप्त कर उक्त रसीद सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लिया जा सकता है, नीलामी के संबंध में फर्नीचर का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में इस स्थापना पर पदस्थ श्री मनोज जोशी, जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, उज्जैन से उनके मोबाईल नंबर 98263–62384 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक **वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in),** एवं जिला न्यायालय उज्जैन की वेबसाईट www.district.ecourts.gov.in/ ujjain तथा आयुक्त जनसंपर्क की वेबसाईट dpradvt पर भी देखी जा सकती है।

उपरोक्त अनुपयोगी सामग्री की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार हैः–

निविदा शर्तेः–

1. अनुपयोगी सामग्री का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रूपये 98,295/– (रूपये अन्ठान्नवे हजार दो सौ पिंच्यान्नवे मात्र) (शासकीय बोली) नियत है।

2. उपरोक्त सामग्री की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु प्रत्येक बोलीदार को अमानत राशि के रूप में रूपये 200/– नजारत अनुविभाग, उज्जैन में जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी उक्त रसीद के आधार पर ही वे नीलामी में भाग ले सकते है। तथा उक्त राशि वापिस नहीं की जावेगी।

3. किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/ अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

4. संबंधित अनुपयोगी सामग्री पुराने न्यायालय, भवन, कोठी पैलेस, उज्जैन में उपलब्ध है इस हेतु इस स्थापना पर पदस्थ श्री मनोज जोशी, जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, उज्जैन से उनके मोबाईल नंबर 98263–62384 पर संपर्क करें।

5. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी फर्नीचर को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

6. नीलामी समाप्त होने के पश्चात् अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की राशि का अनुमोदन होने के तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर 03 (तीन) दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से ऑनलाईन चालान के माध्यम से शीर्ष **0070–01–800–9691** में जमा करवाया जाकर ऑनलाईन चालान की रसीद मूलतः दो प्रतियों में जमाकर, सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा।

7. अनुपयोगी सामग्री विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता (बोलीकर्ता) को उक्त फर्नीचर को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में पुराने जिला न्यायालय भवन, कोठी पैलेस, उज्जैन से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

अध्यक्ष,
अनुपयोगी सामग्री अपलेखन समिति
वास्ते/कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म.प्र.